

नामान्तरण अपील वाद सं०-०१/२०१७-१८

आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

देश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

आदेश और पदाधिकारी का आदेश 01	आदेश और पदाधिकारी का आदेश 02	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख
2/9/2025	अभिलेख उपस्थापित। वर्ष 2023 के बाद उभय पक्ष अनुपस्थित है अर्थात वाद लम्बी अवधी के लंबित चली आ रही है। अभिलेख में संधारित अंचल अधिकारी, जरीडीह का पत्रांक 642, दिनांक 30.07.2018 के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें उल्लेख है कि "नामान्तरण केस सं०-247/2017-18 में खाता सं०-35, खेसरा सं०-259, मौजा-गोपीनाथपुर का Entry नहीं किया गया था। परन्तु Software Problem के कारण Data fatch हो जाने के कारण खाता सं० 35 का विवरण Insort हो गया हैं फलतः वर्णित वाद में खाता 35 को छोड़कर विचार किया जाए। मामला तकनिकी त्रुटि का है, जिसका निराकरण अंचल अधिकारी के स्तर पर ही किया जाना है। अतः बिहार अंगीकृत झारखण्ड कास्तकारी (अभिलेख संधारण) अधिनियम 1973 की धारा 15 के आलोक में अंचल अधिकारी, जरीडीह का नामान्तरण वाद सं० 247/2017-18 में दिनांक 13.10.2017 को पारित आदेश निरस्त करते हुए तकनिकी त्रुटि का निराकरण पुनः विधिवत जाँचोपरान्त अपीलार्थी के पक्ष को सुनकर नियमानुसार आदेश पारित करने हेतु वाद अंचल अधिकारी, जरीडीह को प्रतिप्रेषण (Remand) किया जाता है तथा अपीलार्थी को आदेश दिया जाता है कि अपना साक्ष्य एवं दस्तावेज, संबंधित अंचल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। इसी आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।	